Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-I March 2021

साक्षी संरक्षण योजना एक समस्या: विधिक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह महदौरिया*
डॉ. सुहेल अजीम कुरैशी**

सारांश

अपराध न्यायालय और साक्षी का प्रचलन प्राचीनकाल से प्रचलित है और आज भी निरन्तर चल रहा है। प्राचीनकाल में जब लोग छोटे–छोटे समूहों या कबीलों में रहते थे उस समय भी अपराध होते रहते थे, उस समय समूहों या कबीलों के लोग एकत्रित होकर उस अपराध का निराकरण पंचायतों में निपटाया करते थे। उस पंचायत में भी साक्षी अपराध के बारे में सही-सही नहीं बताता था जिस कारण पंचायत में पंच लोग उस अपराधी को छोटे-मोटे दण्ड से दण्डित करते थे या फिर उसे बरी कर देते थे क्योंकि पंचायत में भी प्रभावशाली लोग ही फैसला सुनाते थे जिससे पीडित को कोई न्याय नहीं मिल पाता था।

धीरे-धीरे भारत पर राजा-महाराजाओं और अग्रेंजों का शासन होने लगा, लेकिन अपराधों में दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी हुई जब राजा-महाराजाओं का शासन हुआ करता था उस समय अपराधों का निराकरण राजा-महाराजा अपने दरबार में करते थे। अंग्रेजों ने अपने न्यायालय बनाये। यदि कोई व्यक्ति अपराध से पीडित होता तो वह न्याय मांगने राजा-महाराजाओं के दरबार में जाता था। राजा-महाराजा न्याय के लिए अपना दरबार लगाते थे। लेकिन साक्षी उस अपराध की घटना के बारे में सच्ची बात बताने से डरता था। जिससे पीडित को न्याय नहीं मिल पाता था। यही स्थिति आज भी प्रचलित है यदि किसी साक्षी को उस अपराध की घटना के बारे में जानकारी है लेकिन न्यायालय में जाने से डरता है क्योंकि प्रभावशाली लोग उस साक्षी को या तो लालच देकर सही घटना बताने से मना कर देते हैं या उस साक्षी को इतना डरा धमका देते हैं कि वह साक्षी उस अपराध के बारे में सही-सही जानकारी नहीं देता है जिससे अपराधी बच निकलता है। इसलिए आज भी कुख्यात अपराधी शहरों में खुलेआम घूम रहें हैं। ऐसे कुख्यात अपराधी साक्षी को इतना डराते-धमकाते हैं कि साक्षी न्यायालय में सही साक्ष्य देने से मुकर जाता है क्योंकि ये कुख्यात अपराधी साक्षी को जान से मारने की धमकी दे देते हैं या उनके बच्चे और परिवार को जान से मारने की धमकी दे देते हैं जिससे साक्षी भयभीत होकर उस अपराध की सही-सही घटना की जानकारी नहीं बताता है और अपराधी दण्डित होने से बच जाता है।

बीजशब्द: अपराध, अपराधी, न्यायालय, साक्षी

प्रस्तावना

जर्मी बैंथम ने कहा है कि "साक्षी न्याय के आँख और कान हैं" प्रभावशाली व्यक्तियों के संलिप्तता के मामले में साक्षी प्राण और सम्पत्ति के प्रति खतरे के कारण पक्षद्रोही हो जाते हैं। साक्षीगण पाते हैं कि कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा कोई विधिक बाध्यता नहीं हैं।

गुजरात राज्य बनाम अनिरूद्ध सिंह[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिश्चित किया है कि "यह प्रत्येक ऐसे साक्षी, जो अपराध के कारित किए जाने की जानकारी रखता है, का हितकर कर्तव्य है कि वह साक्ष्य देने में

---

* बी.एससी., एम.ए. एलएल.एम., पीजीडीसीए., एम.पी. सेट.

** प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह लॉ कॉलेज, भिण्ड; सदस्य, विधि अध्ययन मण्डल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

[1] (1997) 6 एससीसी 514

राज्य की सहायता करे"। मालीमथ कमेंटी ने रिफार्म्स ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, 2003 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "किसी अपराध के घटित होने के सम्बन्ध में साक्ष्य देकर वह (साक्षी) सत्य की खोज करने में न्यायालय की सहायता का एक पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करता है"।

जाहिरा हबीबुल्ला एच० शेख और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य[2] के मामले में जब स्वच्छ विचारण पर सम्प्रेक्षण दिया गया। तब कहा गया "यदि साक्षियों को धमकी दिया गया या उन्हें झूठा साक्ष्य देने के लिए दबाब डाला गया तब इस कारण भी स्वच्छ विचारण नहीं होगा।"

भारत में पहली बार साक्षी संरक्षण योजना की बात 14वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में सन् 1958 में उठायी गई थी। उसके बाद 154वी 178वी और 198वी विधि आयोग की रिपोर्ट में भी साक्षी सुरक्षा योजना को लागू करने की सिफारिश की गई थी। साक्षियों की पहचान संरक्षण और साक्षी संरक्षण कार्यक्रम, 2006 विषय पर केन्द्रित रहा। चतुर्थ राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट, 1980 में भी इस तथ्य पर टिप्पणी किया गया था कि अभियुक्तों के दबाव के कारण साक्षी पक्षद्रोही हो जा रहें हैं और साक्षियों के कूटकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह साक्षी सुरक्षा योजना आज तक संसद या विधायिका द्वारा लागू नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे गवाहों (साक्षी) के लिए कानून बनाये। साक्षी (गवाह) न्याय के आँख और कान होते हैं। साक्षी अपराधियों कों न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक साक्षी का यह कर्तव्य है कि वह उस अपराध के बारे में न्यायालय में सही-सही बताये जिससे न्यायालय उस अपराधी को दण्डित कर सके। इसलिए सरकार को उस साक्षी के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे प्रत्येक साक्षी सही-सही साक्ष्य देने से डरे नहीं और उस साक्षी का ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य देने से पहले साक्षी को अभियोजन कार्यालय में बुलाकर उसे अभियोजन द्वारा समझाया जाना चाहिए। यदि साक्षी न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए आया है तो न्यायालय को साक्षी के प्रति गम्भीरता लेते हुए उसे बिना साक्ष्य दिये नहीं जाने दिया जाना चाहिए। कभी-कभी साक्षी न्यायालय में साक्ष्य देने तो आता है लेकिन न्यायालय उस साक्षी को पाबन्द कर अगली नियत पेशी को साक्ष्य देने हेतु कहकर जाने देता है इससे साक्षी का समय बर्बाद होता है इस कारण भी साक्षी न्यायालय में सही-सही नहीं बताकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है और वह मामला कमजोर पड जाता है और अपराधी दण्डित होने से बच जाता है।

खतरे की धारणा के आधार पर साक्षी (गवाह) की तीन श्रेणियाँ हैं

1. **श्रेणी-ए-**जहाँ खतरा साक्षी (गवाह) या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन पर मंडराता है। जाँच/ परीक्षण या उसके बाद भी उनका सामान्य जीवन यापन लम्बे समय के लिए प्रभावित रहता है।
2. **श्रेणी-बी**-केवल जाँच प्रक्रिया या परीक्षण के दौरान खतरा साक्षी (गवाह) या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा प्रतिष्ठा या सम्पत्ति तक फैलता है।
3. **श्रेणी-सी**-जहाँ खतरा मध्यम है और जाँच प्रक्रिया के दौरान साक्षी (गवाह) या उसके परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा या सम्पत्ति को चोट या धमकी दी जाती है।

मसौदा योजना की मुख्य विशेषताऐं

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंन्ट के परामर्श से साक्षी (गवाह) सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

[2] (2004) 4 एससीसी 158

- योजना के तहत परिकल्पित सुरक्षा उपायों को खतरे के अनुपात में लागू किया जाना है अथवा उनके अनन्त समय तक जारी रहने की उम्मीद नहीं है।
- इस योजना की परिकल्पना है कि साक्षी (गवाह) और अभियुक्तों को जाँच या परीक्षण के दौरान आमने सामने नहीं आना चाहिए और साक्षी (गवाह) की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा साधन होने चाहिए।
- यह योजना पहचान सुरक्षा और साक्षी (गवाह) को एक नई पहचान देने का प्रावधान करती है।
- यह योजना पूरे भारत में लागू होगी।
- योजना के अनुसार उन साक्षियों (गवाहों) को जिनको धमकी दी जा रही है पुलिस एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाऐगा और आवश्यकता पडने पर उन्हें सुरक्षित एक घर में स्थानांतरित कर दिया जाऐगा। योजना यह भी कहती है कि धमकाने वाले व्यक्ति की खोज करने के लिए साक्षी (गवाह) के मेंल और फोन कॉल पर नजर रखी जायेगी।
- योजना के तहत किए गए खर्चो का पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग साक्षी (गवाह) संरक्षण कोष बनाया जाऐगा।
- 1 वर्ष के भीतर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी जिला न्यायालयों में साक्षी (गवाह) बयानों की स्थापना की जायेगी जहाँ साक्षी (गवाह) आरोपियों के आमने-सामने आये बिना निर्भर होकर न्यायाधीश के सामने अपना बयान दे सके।

साक्षी संरक्षण योजना की आवश्यकता

- जब अपराधी शक्तिशाली, प्रभावशाली या समृद्ध होता है और पीडित या साक्षी सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय से होते हैं ऐसे गम्भीर अपराधों में पीडित और साक्षी विशेष रूप से खतरे में होते हैं। यौन हिंसा की रिपोर्ट करने वाली लडकियाँ और महिलायें अक्सर अधिक कमजोर होती है और आरोपियों की ओर से अत्यधिक दबाव खतरों का सामना करती है।
- इसके अलावा साक्षियों में कानून प्रवर्तन और अभियोजन अधिकारियों की सहायता के लिए आगे आने का आत्मविश्वास होना चाहिए उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि उन्हें डराने धमकाने या दण्डित करने या सह-संचालन से दण्डित करने के प्रयास में आपराधिक समूह उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए समर्थन और संरक्षण प्राप्त करेगें। इसलिए साक्षियों से छेडछाड के खिलाफ निषेध पर जोर देने के विधायी उपाय आज की आसन्न और अपरिहार्य आवश्यकता बन गए हैं।
- सन् 2003 में आपराधिक न्याय प्रणाली पर न्यायमूर्ति वी. मालिमथ समिति ने एक अलग साक्षी (गवाह) संरक्षण कानून बनाने की सिफारिश की थी और सन् 2006 में भारतीय विधि आयोग ने अपनी 198 वी रिपोर्ट में एक मसौदा साक्षी (गवाह) सुरक्षा कानून के लिए प्रावधान किया था।
- इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेंरिका, यूनाइटेड, किंगडम, चीन, इटली, कनाडा, हांगकांग और आयरलैण्ड जैसे देशों में साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना पहले से ही लागू है।

अब न्यायालय में साक्ष्य (गवाही) दिया तो मिलेगा पूरा संरक्षण मसौदे को उच्चतम न्यायालय की मंजूरी-
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है और सभी राज्यों को इसके सम्बन्ध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि उसने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं, कथावाचक आसाराम से जुडे बलात्कार के मामले में साक्षी (गवाहों) के संरक्षण के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय में साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना की बात सामने आयी थी।

इसके पहले 19 नबम्वर, 2019 को सुनबाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के० के० वेणुगापाल ने न्यायालय को बताया था कि साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अब नय प्रक्रिया के तहत उसे कानून का रूप दिया जाऐगा लेकिन उस वक्त तक इसका अनुपालन करने का निर्देश न्यायालय को सभी राज्यों को देना चाहिए।

साक्षी (गवाह) को संरक्षण की स्कीम बताने की जिम्मेदारी अब न्यायालय व जाँच अधिकारी की होगी-

आपराधिक मामलों में साक्ष्य (गवाही) देने पर धमकियों की खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं लेकिन अब साक्षियों (गवाहों) के संरक्षण के लिए राजस्थान में भी राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम लागू हो गई है। लागू हुई इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी न्यायालयों और मामले के जाँच अधिकारी पर होती है। स्कीम में न्यायालयों और प्रकरण के जाँच अधिकारी को सम्बन्धित साक्षी (गवाह) को उसकी सुरक्षा बावत् जानकारी लेना और स्कीम के बारे में बताना अनिवार्य कर दिया है हालांकि अभी इसे गम्भीरता व सख्ती से लागू नहीं किया गया है।

अपराधी को उसकी करतूत की सजा दिलाने के लिए मामले से जुडे साक्षियों की गवाही काफी महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर मामलों में साक्षी के पक्षद्रोही होने व बयानों के मुकरने की वजह से ही अपराधी दोषमुक्त हो जाते हैं। आपराधिक मामलों में जहाँ अपराधी के खौफ की वजह से या तो मामले से जुडे साक्षी गवाही नहीं देते हैं या फिर इस तरह गवाही दी जाती है कि अपराधी के खिलाफ अपराध साबित नहीं हो पाता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि साक्षियों के लिए किसी तरह के संरक्षण की कोई योजना आजादी के सालों बाद भी नहीं बनी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक दाण्डिक मामले में व एक सिविल रिट में इस मुद्दे पर राज्य सरकार को निर्देश दिए कि गवाहों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके लिए स्कीम बनाए और निधि की व्यवस्था भी की जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के गृह विभाग ने राजस्थान साक्षी संरक्षण योजना 2018 बनाई और 5 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह स्कीम लागू भी हो गई है। लेकिन पुलिस व न्यायिक अधिकारी अब तक इस स्कीम के प्रावधानों से अंजान हैं। यही वजह है कि ना तो पुलिस की ओर से गवाहों से उनकी सुरक्षा को लेकर बातचीत की जाती है और ना ही अदालतों में गवाही के दौरान गवाह को सुरक्षा व संरक्षण सहित स्कीम को लेकर जानकारी दी जा रही है जबकि स्कीम के तहत यह अनिवार्य है।

साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ व निधि जरूरी

योजना के तहत साक्षी यानि गवाहों की सुरक्षा के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों कों शामिल कर साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ बनाने का प्रावधान है। जो स्वयं या अदालत के आदेश से गवाहों को सुरक्षा की जरूरत होने पर कार्यवाही अमल में लाऐगा। गवाहों को सुरक्षा देने के लिए होने वाले खर्च के लिए संरक्षण निधि का प्रावधान भी किया गया है। सुरक्षा के लिए गवाह अदालत व जाँच अधिकारी को अर्जी दे सकता है।

साक्षी को सुरक्षा किस तरह दी जा सकती है[3]

- अभियुक्त और साक्षी (गवाह) का आमना-सामना नहीं होना चाहिए।
- साक्षी (गवाह) के मेंल और टेलीफोन की मॉनीटरिंग होनी चाहिए।
- साक्षी (गवाह) के फोन नम्बर बदले जाने चाहिए और टेलीफोन कम्पनी से इस बावत बात करना चाहिए।
- साक्षी (गवाह) के साथ ही उसके पूरे परिवार को सुरक्षा का प्रावधान हो।

[3] धारा-7, साक्षी संरक्षण योजना, 2018 जजमेन्ट एण्ड लॉ टुडे जनवरी-फरवरी, 2019

- साक्षी (गवाह) के घर पर सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा उपकरण, अलार्म आदि लगाऐ जाने चाहिए।
- साक्षी (गवाह) की पहचान, वर्ण आदि को गोपनीय रखने के लिए जरूरी कवायद होने चाहिए।
- आपात स्थिति में साक्षी (गवाह) से सम्पर्क के लिए सम्पर्क व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए।
- साक्षी (गवाह) के घर के आस-पास कडी सुरक्षा करना व गस्त लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- न्यायालय जाने व आने के दौरान साक्षी (गवाह) को सुरक्षा प्रदान करना और सरकारी गाडी उपलब्ध करानी चाहिए।
- न्यायालय में गवाही के दौरान पक्षकार व वकीलों के अलावा किसी अन्य की मौजूदगी पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।
- ऐसे कमरे में गवाही जहाँ साक्षी (गवाह) आवाज बदलकर आए उसकी पहचान नहीं हो, एक तरफ दर्पण या स्क्रीन का इस्तेमाल होना चाहिए।
- गम्भीर प्रकृति के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि मुलजिम पक्ष साक्षियों (गवाहों) को प्रभावित करने के लिए दबाव व अर्थिक प्रलोभन देते हैं। इससे गम्भीर प्रकृति के मामलों में साक्षी (गवाह) स्वतन्त्र रूप से साक्ष्य नहीं दे पाता है परन्तु साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 के आ जाने के बाद साक्षी को संरक्षण प्राप्त हो सके सीमान्त भारद्धाज विशिष्ट लोक अभियोजक विशेष अदालत महिला उत्पीडन प्रकरण अजमेर।
- अदालत का यह निर्देश आसाराम बापू से जुडे बलात्कार के मामले में साक्षियों (गवाहों) के संरक्षण के लिए जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सामने आया है।
- गौरतलब है कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले कई लोगों की हत्या कर दी गई और कई पर जानलेवा हमला किया गया।
- इसलिए इस मामले के साथ-साथ समूची न्याय-प्रक्रिया में इन्साफ सुनिश्चित करने के लिहाज से साक्षियों (गवाहों) की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका में गवाहों के लापता होने और उन पर हमलों की घटनाओं की जाँच कराने का अनुरोध किया था।
- इस याचिका के बारे में केन्द्र ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से परामर्श के बाद साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया है। केन्द्र ने इस मसौदे पर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राय भी प्राप्त की थी इसके बाबजूद इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका था।[4]

साक्षियों (गवाहों) की सुरक्षा क्यों जरूरी है

- मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल जिसे व्यापम भी कहा जाता है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश तथा विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती से सम्बन्धित है। इस भर्ती प्रक्रिया में वृहद रूप से अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। इसके बाद इस मामले से सम्बन्धित कई आरोपी और साक्षियों (गवाहों) की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के भ्रष्टाचार से जुडे मामले में पुलिस अभिरक्षा में चार साक्षियों (गवाहों) की एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी।

[4] धारा-7 साक्षी संरक्षण योजना, 2018

- 2 जी स्पैक्ट्रम, चारा घोटाला, हिट एण्ड रन आदि अनेक बडे मामले है जिनमें प्रमुख साक्षियों (गवाहों) को खत्म कर दिया गया या डरा-धमका कर गवाही नहीं देने के लिए मजबूर किया गया।
- संत आसाराम बापू के खिलाफ दो मामलों में बलात्कार का आरोप लगाया गया था। वर्तमान में वह जेल में है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण साक्षी (गवाह) 35 वर्षीय कृपाल सिंह की शाजापुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
- इससे पहले दो अन्य साक्षियों (गवाहों) गुजरात में अमृत प्रजापति तथा उत्तर प्रदेश में अखिल गुप्ता की हत्या कर दी गई।
- आपराधिक मामलों में साक्षी (गवाह) की घटना परिदृश्य को लेकर कई बार देखा गया है कि अदालत में गवाही का दौर शुरू होने पर महत्वपूर्ण साक्षी (गवाह) पुलिस में दिए गये बयान से मुकर जाते हैं या फिर उनकी गवाही में काफी विसंगति आ जाती है।
- इसका नतीजा यह होता है कि कई बार गवाहों के मुकर जाने की वजह से आपराधिक मुकदमा कमजोर हो जाता है और आरोपी रिहा (बरी) हो जाता है।
- देश के बडे आपराधिक मामलों में साक्षियों (गवाहों) की भूमिका तथा उन्हें तरह-तरह से प्रभावित करने से लेकर उनकी सुरक्षा तक के मुद्दे लगातार न्यायालय की चिंता का विषय रहे हैं।
- एक अनुमान के मुताबिक देश में हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में गवाहों के मुकर जाने की वजह से करीब 10 से 12 प्रतिशत मामलों में ही अपराधियों को सजा हो पाती है।
- गवाहों के मुकरने जैसी स्थिति को ध्यान में रखकर हालॉकि गवाहों के संरक्षण का मुद्दा लगातार उठ रहा है लेकिन अब ऐसा लगता है कि न्यायिक हस्तक्षेप के बाद शायद गवाहों को संरक्षण देने की योजना मूर्तरूप ले लेगी।
- साक्षियों (गवाहों) की सुरक्षा के सन्दर्भ में कारगर कानूनों की अनुपस्थिति के कारण न्याय मिलना दूर की कौडी की तरह लगता है।
- ऐसी परिस्थितियों में जहाँ सच्चाई का एक मात्र स्रोत साक्षी है ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक कारगर बनाना है तो गवाहों की सुरक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत सारे आपराधिक मामलों में केवल इसलिए सजा नहीं हो पाती है क्योकि गवाह को न्यायालय में आने से पहले ही गायब कर दिया जाता है या वह डर के कारण न्यायालय नहीं आ पाता हैं।
- न्यायालयों में मामलों पर निर्णय लेने में काफी देरी होती है जिसके कारण साक्षी (गवाह) न्यायालय में आना बन्द कर देते हैं।
- एक अच्छी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश लागू करना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा लेकिन इसके लिए एक अलग कानून की आवश्यकता होगी क्योकि कानून और योजना में काफी फर्क होता है।

उच्चतम न्यायालय ने साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना को दी मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की साक्षी (गवाह) संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है और केन्द्र, राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 1 वर्ष के भीतर हर जिले में साक्ष्य (गवाही) देने के लिए अलग से परिसर बनाये।

ओडिशा राज्य सरकार ने केन्द्रीय साक्षी संरक्षण योजना-2018 लागू की

ओडिशा राज्य सरकार ने केन्द्र की साक्षी संरक्षण योजना-2018 को लागू किया है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले ओडिशा राज्य सरकार ने 6 जुलाई को उडीसा उच्च न्यायालय को सूचित किया। इस योजना को लागू करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया है।

यह कदम एक मुखबिर द्वारा उसके जीवन और सम्पत्ति के लिए सुरक्षा की मांग के बाद आया है क्योंकि वह उडीसा उच्च न्यायालय में गंजम जिले के कोडाला पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक हत्या के मामले में एक साक्षी (गवाह) था। न्यायमूर्ति बिस्वजीत मोहंती की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता को योजना के तहत सुरक्षा के लिए सम्बन्धित जिले में सक्षम प्राधिकारी से सम्पर्क करने का निर्देश दिया।

उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020

उत्तराखण्ड में गम्भीर किस्म के अपराधों के मामलों में साक्षियों (गवाहों) को सरकार सुरक्षा देगी। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 का मंजूरी प्रस्ताव पास किया गया है।

अब तक भारत में गवाह संरक्षण कानून पर क्या प्रगति हुई है

- इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 में संशोधन कर एक नया खण्ड - 164क जोडना था जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करने से सम्बन्धित था।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा-195क में गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है।
- गुजरात के 2002 के दंगों से सम्बन्धित बेस्ट बेकरी काण्ड की चश्मदीद गवाह जाहिरा शेख सहित कई मामलों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर उच्चतम न्यायालय ने चिंता व्यक्त की थी।
- विधि आयोग की 198 वी रिपोर्ट और प्रस्तावित गवाह की पहचान से सुरक्षा कार्यक्रम के आधार पर गवाहों के संरक्षण के लिए एक विधेयक गवाह सुरक्षा विधेयक 2015 तैयार किया गया था।
- यह विधेयक राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजा गया था लेकिन इस पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी।

उच्चतम न्यायालय की यह नई गाइड लाइन कितनी मजबूत दिख रही है

- यह नई गाईड लाईन धरातल पर कितनी मजबूत होगी इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा लेकिन अच्छा यह होता है कि संसद इस पर कानून बनाती है।
- विधि आयोग की रिपोर्ट, 2003 में नीलम कटारा केस में दिल्ली उच्च न्यायालय की गाईड लाईन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की गवाह संरक्षण योजना का मसौदा कुछ ऐसे प्रयास हैं जिससे लोगों में जागरूकता आई है।
- लोगों ने न्यायपालिका को एक तरह से संवेदनशील बनाने का कार्य किया है और अब संसद को न्यायपालिका के माध्यम से संवेदी बनाया जा रहा है कि वह कानून बनाऐ, जब तक कानून नहीं बनता तब तक यह गाईड लाईन लागू रहेगी।
- लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है लोग अब महसूस करने लगे हैं कि जो चल रहा है वह अब नहीं चलेगा क्योंकि लोग इसे अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

- देश में जितने भी हाई प्रोफाईल केसेज हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण गवाहों को या तो मार दिया गया है या धमकी या लालच की वजह से वे गवाही देने से पीछे हट जाते हैं।
- इस बदलती स्थिति का स्वागत होना चाहिए क्योंकि जो चीजें संसद या राजनीतिक प्रतिष्ठानों से आनी चाहिए। वह अब न्यायपालिका की तरफ से आ रही हैं। हमारे नीति निर्धारक जिनके ऊपर इस दिशा में कदम उठाने की जिम्मेदारी है वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं जबकि सिविल सोसाइटी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है जो खेद की बात है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों में स्वतंत्र रूप से गवाही देना गवाहों का अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन का अधिकार का हिस्सा है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि योजना संविधान के अनुच्छेद-141/ 142 के तहत कानून माना जायेगा। जब तक कि इस विषय पर संसद और राज्य विधानमण्डल अधिनियम नहीं बना देता है।

साक्षी के विषय के सम्बन्ध में मालीमथ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि गवाह को जिरह के समय परेशान किया जाता है तो न्यायालय को उचित कार्यवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

धारा-22 साक्षी को धमकी देने के लिए दण्ड[5] जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई साक्षी है या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध हो, हिंसा की धमकी देगा या साक्षी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें साक्षी हितबद्ध, हो दोषपूर्वक अवरूद्ध करेगा या परिरूद्ध या परिरूद्ध करेगा या उक्त कार्यो में से किसी कार्य को करने के आशय से कोई अन्य विधिविरूद्ध कार्य करेगा वह ऐसे कारावास से, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

धारा-44 साक्षियों का संरक्षण[6] (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनिय के अधीन कार्यवाहियाँ लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यदि न्यायालय ऐसा चाहे तो, बन्द कमरे में की जा सकेगी।

(2) यदि न्यायालय का, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का जीवन खतरे में है तो वह, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसे साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने वाला ऐसा उपाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन उपायों में, जिन्हें न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगें –

(क) उस स्थान पर कार्यवाहियों का किया जाना, जिसका विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जाऐगा;

---

[5] विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967: प्रकाशक- इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन, 166- बी, एलेन्गन्ज, प्रयागराज (इलाहाबाद)- 211002, पेज नं. 13

[6] विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967: प्रकाशक- इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन, 166- बी, एलेन्गन्ज, प्रयागराज (इलाहाबाद)- 211002, पेज नं. 26

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों या मामले के किन्हीं अन्य अभिलेखों में, जो जनता तक पहुँच योग्य हैं, साक्षियों के नाम और पते के उल्लेख से बचना;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी करना कि साक्षियों की पहचान और पता प्रकट नहीं किए जातें हैं;

(घ) यह विनिश्चय कि ऐसा आदेश करना लोक हित में है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लम्बित सभी या कोई कार्यवाही किसी रीति में प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी विनिश्चय या निदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा-17 साक्षियों की संरक्षा[7] (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां, यदि विशेष न्यायालय ऐसी वांछा करे तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, बन्द कमरे में की जा सकेगी।

(2) यदि विशेष न्यायालय का उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का जीवन खतरे में है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे साक्षी की पहचान और पते को गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में, जो उस उपधारा के अधीन विशेष न्यायालय कर सकेगा, निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकेंगे, -

(क) विशेष न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले किसी स्थान पर कार्यवाहियां करना;

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या जनसाधारण की पहुँच योग्य मामले के किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों के उल्लेख से बचना;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों की पहचान और पते प्रकट न किए जाऐं, कोई निर्देश जारी करना;

(घ) यह विनिश्चय कि ऐसा आदेश करना लोकहित में है कि उस न्यायालय के समक्ष लम्बित सभी या कोई कार्यवाहियां किसी भी रीति में प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी विनिश्चय या निर्देश का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने सें, जो 1000/- रूपयें तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

---

[7]राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008: प्रकाशक- इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन, 166-बी, एलेन्गन्ज, प्रयागराज (इलाहाबाद)- 211002, पेज नं. 07

धारा 195-क किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना[8] जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा; और यदि निर्दोश व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दण्डादिष्ट किया जाएगा, जैसे निर्दोष व्यक्ति दण्डित और दण्डादिष्ट किया गया है।

महेन्द्र चावला और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[9] इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत अनेक वाद-निर्णयों के विचार में तथा इस बात को ध्यान में लेते हुए कि साक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षण, जो न्याय प्रशासन एवं सामाजिक न्याय के लिए अपरिहार्य है, हेतु कोई कानून देश में नहीं है, गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का संरक्षण योजना, 2018 को स्वीकार किया जाता है, जो अनुच्छेद 141/142 के अधीन देश की सामान्य विधि होगी और तब तक प्रवृत रहेगी जब तक संसद या सम्बन्धित राज्य इस विषय पर कानून नहीं बना लेते हैं।

यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके चार याचिकाकर्ताओं ने देश के न्याय प्रशासन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय साक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समुचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी क्योंकि इस विषय पर अभी तक देश में कोई कानून नहीं है। सर्वविदित है कि साक्ष्य (मौखिक या दस्तावेजी) और साक्षी हमारे न्याय प्रदान प्रणाली के रीढ की हड्डी माने जाते हैं। जिस पर केन्द्रित होकर ही न्यायालय सच्चाई का पता लगाकर अपना निर्णय प्रदान करता है। यह भी सार्वजनिक हुआ है कि अभियुक्त पक्ष या वादी पक्ष प्राय: साक्ष्य अथवा साक्षी को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे हैं। अनेक साक्षियों के विचारण के दौरान हत्याऐं भी की जा चुकी हैं तो मामले के साक्ष्यों को नष्ट भी किए जा चुके हैं। इस रिट याचिका के याचीगण स्वयं इसके शिकार हो चुके हैं। जिसके कारण बाध्य होकर उन्हें यह रिट याचिका प्रस्तुत करना पडा।

चार याचिकाकर्ताओं में मुख्य याची **महेन्द्र चावला** तथा कथित धार्मिक प्रवचनकर्ता **आसाराम बापू** और उसके पुत्र **नारायण सांई** जो एक नाबालिग लडकी एवं उसके दो बहनों के साथ बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, के मामले का साक्षी था, पर आसाराम एवं नारायण सांई के गुण्डों ने प्राणघातक हमला किया था, जिसमें वह यद्यपि बच गया था, किन्तु उसे बार-बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। याची संख्या 2 नरेश गुप्ता मृतक अखिल गुप्ता के पिता हैं। अखिल गुप्ता भी आसाराम के विरूद्ध मामलों में एक साक्षी था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। याची संख्या 3 करमवीर सिंह है जिसके अवयस्क पुत्री के साथ आसाराम ने बलात्संग किया था और करमवीर का एफ.आई.आर. कराने का गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकियाँ दी जा

[8] भारतीय दण्ड संहिता, 1860: प्रकाशक- सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 30-डी/1, मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद, पेज नं. 51

[9] ए.आई. आर. (2018) एस. सी. 21

रही हैं, जिसके एक आरोपी ने एक अन्य साक्षी की हत्या भी कर दी है। याची संख्या 4 नरेन्द्र यादव जो एक पत्रकार है और आसाराम के विरूद्ध रिपोर्टिग की थी, पर भी प्राणघातक हमला किया जा चुका है।

इस मामले का केन्द्र बिन्दु यद्यपि आसाराम केस से जुडे तीन साक्षियों की हत्या किया जाना अथवा उन्हें (10 से अधिक) जान से मारने की धमकी दिया जाना है, किन्तु यह समस्या लगभग देश के हर दाण्डिक मामलों में देखी जा सकती है। यही कारण है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए स्वयं उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दिया कि वे देश के सभी राज्यों को भी पक्षकार बनायें । तदनुसार देश के सभी राज्यों एवं स्वयं केन्द्र सरकार एवं केन्द्र शासित राज्यों को नोटिस जारी कर उनसे इस विषय पर रिपोर्ट मांगी गई। 18 नवम्बर, 2016 से लेकर 5 दिसम्बर, 2018 तक अनेक तारीखों पर सुनवाई के बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 को पूरे देश में लागू किए जाने के निर्देश के साथ खण्डपीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है।

साक्षी न्यायालय को तथ्यों के विवादित प्रश्नों के सही निष्कर्ष पर पहुँचने में तथा यह पता लगाने में कि सच्चाई कहाँ पर स्थित है अति आवश्यक भूमिका अदा करते हैं। इसलिए वे न्याय प्रदान प्रणाली में रीड की हड्डी होते हैं। जब कभी किसी मामले में दो पक्ष परस्पर विरोधी कथन के साथ आते हैं तब साक्षी सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र बन जाता है। इसके द्वारा किसी मामले में न्याय प्रस्तुत करते हुए यह सिद्धांत दाण्डिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव और शक्ति के साथ लागू होता है क्योंकि ऐसे मामले साक्षियों (गवाहों) के बयानों, विशेषकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, जिन्होने घटना/ अपराध को देखा है, के साक्ष्यों के आधार पर विनिश्चित किए जाते हैं। यही कारण है कि लगभग 150 वर्ष पहले जर्मी बैंथम ने कहा था कि "साक्षी न्याय के आँख और कान होते हैं" इसलिए साक्षी न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण होते हैं जो सही तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायाधीशों की सहायता करते हैं।

भारतीय विधिक प्रणाली में साक्षियों की दशा कारूणिक रूप में होना कहा जा सकता है। किसी मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान भी अनेक स्तरों पर साक्षियों के द्वारा धमकियों का सामना किया जा रहा है। उन्हें स्वयं एवं अपने सम्बन्धियों के भी जान का खतरा बना रहता है और यह संकट न्यायालय में पेश होने के समय भी रहता है। इस कारण वे न्यायालय में आने से ही बच रहे हैं।

स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य[10] के मामले में साक्षियों की दयनीय दशा को न्यायमूर्ति बाधवा ने व्यक्त किया था कि "साक्षियों का अत्यधिक उत्पीडन किया जा रहा है। वे काफी दूर से साक्ष्य के लिए आते हैं और पता चला कि मामला स्थगित कर दिया गया है। अनेक अवसरों पर उन्हें स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में आना पडता है और काफी देर से उन्हें भुगतान किया जाता है यह एक दैनिक क्रिया हो गया है कि मामला स्थगित कर दिया गया है और साक्षी न्यायालय आते-आते थक जाते हैं। कभी-कभी साक्षी को धमकी दिया जाता है या अंगहीन कर दिया जाता है या रिश्वत दिया जाता है। साक्षियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। न्यायालय के द्वारा सम्मान नहीं दिया जाता है उसे बैठने पानी पिलाने की भी कोई व्यवस्था न्यायालय में नहीं होती है। इन कारणों से व्यक्ति एक साक्षी बनने से कतराता है और इस प्रकार न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों को भी इन सभी के प्रति सजग और सतर्क होना चाहिए, दं.प्र.सं. की धारा 340 (3) (ख) में संशोधन की आवश्यकता है।"

[10] ए.आई.आर. (2000) 5 एससीसी 68

साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने का भी मुख्य कारण यही माना जाता है कि राज्य के द्वारा साक्षियों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। एक कडवा सच यह भी है कि विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ अभियुक्त व्यक्ति/ अपराधी गम्भीर अपराधों के लिए विचारित किए जा रहें हैं अथवा जहाँ कि अभियुक्त व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति है या अधिकार सम्पन्न स्थिति में हैं। वे साक्षियों को या तो धमकी दे रहे हैं या उत्प्रेरित कर रहे हैं। जिसके कारण साक्षी या तो न्यायालय में नहीं आ रहे हैं या सच बोलने से कतरा रहे हैं। ये सब स्थितियाँ मात्र इसी कारण हैं क्योंकि राज्यों के द्वारा साक्षियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कोई संरक्षणात्मक मानक नहीं अपनाया जा रहा है। साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने का भी यह एक कारण बन रहा है।

(उमेश चन्द्र अन्य बनाम हरियाणा राज्य)[11]

उपर्युक्त कारणों ने देश (भारत) में कम दोषसिद्धि की समस्या को भी जन्म दिया है जिससे दाण्डिक न्याय प्रणाली भी प्रभावित हुई है। जहाँ तक साक्षियों की सुरक्षा का प्रश्न है इस पर देश के अनेक न्यायालयों एवं स्वयं इस न्यायालय ने अनेक अवसरों पर विचार किया है और अति आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है जिन्हें निम्नवत: सारांशित किया जा सकता है-

(i) किसी बाल साक्षी का साक्ष्य अति सतर्कता और सावधानी से, प्रमुखतया वीडियो टेप बयान, बच्चे के समर्थित व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए अथवा वीडियो रिकार्डिग (क्लोज्ड सर्किट टीवी) के माध्यम से प्राथमिकत: केवल जज के द्वारा लिया जाना चाहिए।
(साक्षी बनाम भारत संघ)[12]

(ii) साक्षियों के साक्ष्य का प्रकाशन केवल विचारण के दौरान ही किया जाय न कि उसके बाद।
(नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य)[13]

(iii) साक्षी के जान को खतरा की धमकी और ऐसी आशंका के कारण पुन: विचारण को अनुज्ञात किया जाना **(सुनील कुमार पाल बनाम फोटा शेख)**[14]

(iv) बलात्कार के मामलों में पीडिता के लिए गोपनीयता की आवश्यकता **(दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वोमेंन्स फोरम बनाम भारत संघ)**[15]

(v) जब साक्षी उपस्थित हो और अभियुक्त अनुपस्थित हो, जब मामलों में स्थगन को हतोत्साहित किया जाना **(उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शम्भू नाथ सिंह)**[16]

(vi) साक्षियों को धमकी दिया जाना जमानत के निरस्तीकरण का एक आधार होना **(राम गोबिन्द उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह)**[17]

(vii) भेद्द साक्षियों (vulnerable witnesses) की परीक्षा के लिए पृथ्वी केन्द्र स्थापित किए जायें **(महाराष्ट्र राज्य बनाम बन्टू उर्फ दौलत निर्णीत दिनांक)**[18]

---

[11] (2017)1एससीसी 529

[12] (2004) 5 एससीसी 518

[13] (1966) 3 एससीआर 744

[14] एआईआर 1984 एससी 1591

[15] (1995) 1 एससीसी 14

[16] (2001) 4 एससीसी 667

[17] (2002) ii SLT 587

[18] दिनाँक 24/10/2017

देश के 18 राज्यों/ केन्द्र शासित क्षेत्रों, 5 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, तीन उच्च न्यायालयों, अनेक सिविल सोसाइटीज एवं पुलिस पर्सनल्स के सुझावों को सम्मिलित करते हुए तैयार साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 जिसे अन्तिम रूप देने में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने भी सहयोग प्रदान किया है को अभिलेख पर पेश किया गया है जिसे अपने शपथ पत्र के द्वारा केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) ने भी अनुमोदित किया है। चूँकि यह एक लाभकारी और परोपकारी योजना (beneficial and benevolent scheme) जिसे सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने स्वीकार किया है और कथन किया है कि इस योजना को विधायिका के द्वारा एक संविधि के रूप में अधिनियमित किए जाने तक एक आदेश के रूप में लागू किए जाने हेतु न्यायालय के द्वारा समुचित निर्देश जारी किया जाये। तदनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं-

(i) प्रस्तुत साक्षी संरक्षण योजना, 2018 जिसे प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, को इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(ii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और केन्द्र शासित राज्य/ क्षेत्रों साक्षी संरक्षण योजना, 2018 को अक्षरश: (in letter and sprit) लागू करेंगे।

(iii) विषय पर यह समुचित संसदीय अथवा राज्य के अधिनियमन के आने तक संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अन्तर्गत "विधि" होगा।

(iv) योजना में अन्तर्विष्ट ऊपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, भारत के प्रत्येक जिला न्यायालयों में राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के द्वारा एक भेद्द साक्षी डिपोजिसन काम्पलेक्सेज (जैसा कि दिल्ली ने पहले ही स्थापित कर लिया है) की स्थापना करेंगे। इसे 1 वर्ष के भीतर अर्थात् वर्ष 2019 के अन्त तक पूरा कर लिया जाये। केन्द्र सरकार इसके लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें प्रदान करेगा।

(5) उपर्युक्त शर्तो के अधीन रिट याचिकाऐं निस्तारित की जाती हैं।

(6) साक्षी संरक्षण योजना, 2018 (witness protection scheme, 2018)

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सरकार को साक्षी के बारे में ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए। जिससे साक्षी सही-सही बात बता सके डरे नहीं। साक्षी न्यायालय के भय से ही डर जाता है और न्यायालय में साक्ष्य देना नहीं चहाता है क्योंकि साक्षी को भय बना रहता है कि प्रभावशाली व्यक्ति उसे बाद में धमकी देंगे इसलिए साक्षी न्यायालय में सही-सही बात नहीं बताना चहाता है जबकि प्रत्येक साक्षी का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय में अपराध की घटना के बारे में सही-सही जानकारी बताऐ जिससे न्यायालय उस अपराधी को दण्डित कर सके। इसलिए सरकार को उस साक्षी के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे साक्षी सही-सही साक्ष्य देने से डरे नहीं और उस साक्षी का ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। यदि साक्षी न्यायालय में उस घटना के बारे में सही-सही नहीं बतायेगा तो अपराधी अपने आप ही बच जायेगा साक्षी न्यायालय में घटना की सही जानकारी इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि साक्षी के लिये संरक्षण की कोई योजना अभी तक सरकार ने नहीं बनाई है। साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य देने से पहले साक्षी को अभियोजन कार्यालय में बुलाकर उसे समझाया जाना चाहिए। उसके बाद न्यायालय में साक्ष्य देना चाहिए और समय-समय पर सरकार को

साक्षी की सभी व्यवस्थायें करना चाहिए जिससे साक्षी डरे नहीं इसके सम्बन्ध में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे साक्षी न्यायालय में सही-सही साक्ष्य दे सके। सरकार साक्षी की सुरक्षा के बारे में ऐसे नियम बनाऐ जिससे साक्षी न्यायालय में निडर होकर साक्ष्य दे सके।

यदि कोई अपराधी साक्षी को डराता, धमकाता है तब सरकार को ऐसे अपराधी के लिए कठोर दण्ड से दण्डित करने की व्यवस्था करना चाहिए और साक्षी को हर समय सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जब सरकार साक्षी को सभी व्यवस्थायें मुहैया करा देगी तो साक्षी न्यायालय में साक्ष्य देने से कतरायेगा नहीं बल्कि साक्ष्य देगा। किसी अपराधी को दण्डित कराने में साक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।